2021 का विधेयक संख्यांक 158.

[दि बायोलोजीकल डायवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021

जैव विविधता अधिनियम, 2002
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

उद्देशिका का संशोधन ।

2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की उद्देशिका में,— 2003 का 18

(क) इसके हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) और भारत 5 जून, 1992 को रियो दि जेनेरो में हस्ताक्षर किए गए जैव विविधता से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में एक पक्षकार हैं, प्रारंभ होने वाले शब्दों और सतत् उपयोग और उनके उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यपूर्ण हिस्से बांटने और उक्त कन्वेंशन को प्रभावी करने के लिए भी उपबंध करना आवश्यक समझा गया है । शब्दों के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित पर रखा जाएगा, अर्थात् :—

"और भारत आनुवंशिक संसाधनों के लिए पहुंच पर नागोया नवाचार और जैव विविधता पर कन्वेंशन जो 29 अक्टूबर, 2010 नागोया, जापान में अंगीकृत हुआ था, उनकी उपयोगिता से उत्पन्न होने वाले ऋजु और साम्यपूर्ण हिस्से बांटने के लिए एक पक्षकार है ।

और जैव संसाधनों के संरक्षण सतत् उपयोग और उनके उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यपूर्ण हिस्से बांटने और उक्त कन्वेंशन को प्रभावी करने के लिए भी उपबंध करना आवश्यक समझा गया है ।"।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंडों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "पहुंच" से अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण या वाणिज्य उपयोग के प्रयोजन के लिए भारत में उद्भूत या उससे प्राप्त होने वाले कोई जैव संसाधन या उससे सहबद्ध पारस्परिक ज्ञान का संग्रहण करना, उपाप्ति या रखना अभिप्रेत है ;

(कक) "फायदे के दावेदार" से जैव संसाधनों, उनके उपोत्पादों के संरक्षक, ऐसे जैव संसाधनों के उपयोग, ऐसे उपयोग और उपयोजन से सहबद्ध नवपरिवर्तनों तथा व्यवहारों से संबंधित ज्ञान सृजक या उससे सहबद्ध पारस्परिक ज्ञान (केवल भारत के लिए अपवर्जित संहिताबद्ध पारस्परिक ज्ञान) के धारक अभिप्रेत हैं ;';

(ii) खंड (ख) के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(iii) खंड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(ग) "जैव संसाधनों" से जिसमें पौधें, जीवजंतु, सूक्ष्मजीव या उनके भाग, वास्तविक या संभावित उपयोग या मानव के लिए मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ, व्युत्पाद (मूल्यवर्धित उत्पादों को छोडकर) शामिल हैं अभिप्रेत हैं किन्तु इसके अंतर्गत मानव आनुवंशिक पदार्थ नहीं है ;

(घ) "जैव सर्वेक्षण" से किसी कर, किस्मों, जीनों, घटकों का सर्वेक्षण या संग्रहण और किसी प्रयोजन के लिए जैव संसाधनों के निष्कर्षण अभिप्रेत हैं ;';

(iv) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(चक) "व्युत्पन्नी" से प्राकृतिक रूप से होने वाले जैव रसायन यौगिक या जैव संसाधनों के चयापचय यद्यपि, इसमें इसकी कार्यात्मक इकाई अंतर्विष्ट नहीं है, अभिप्रेत है ;';

(v) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(छक) "लोक किस्म" से पौधें की एक खेती जो किसानों के बीच अनपौचारिक रूप से विकसित उगाई या आदान-प्रदान की जाती थी, अभिप्रेत है ;

(छख) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथा संदर्भित भारत राज्यक्षेत्र, इसका राज्यक्षेत्र जल, समुद्र तल और ऐसे जल में अंतर्निहित उप मिट्टी, महाद्वीपीय मग्न तट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या ऐसे अन्य समुद्री क्षेत्र जो राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्न तट, भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्रीक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में संदर्भित है और इसके राज्यक्षेत्र के ऊपर वायु आकाश, अभिप्रेत है ;

1976 का 80

(i) "भूमि प्रजाति" से आदिम खेती जो प्राचीन किसानों और उनके उत्तराधिकारों द्वारा ऊगाई गई थी, अभिप्रेत है ;';

(vi) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(झक) "सदस्य-सचिव" से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैसा भी मामला हो, का पूर्णकालिक सचिव, अभिप्रेत है;';

अध्यान 2 के शीर्ष का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम के अध्याय 2 के अध्यान शीर्ष में "विविधता" शब्द के स्थान पर "संसाधानों" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (2) में, खंड (ग) में उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत जो एक विदेशी नियंत्रित कंपनी है ;";

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "सहबद्ध ज्ञान" जिसमें जैव संसाधनों से संबंधित कोई परंपरागत ज्ञान या समकालीन ज्ञान शामिल होगा ;

(ख) "विदेशी नियंत्रित कंपनी" से ऐसी विदेशी कंपनी अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (42) में परिभाषित है, जो किसी विदेशी के नियंत्रण के अधीन हैं ।

2013 का 18

धारा 4 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन । अनुसंधान के परिणाम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना कतिपय व्यक्तियों को अंतरित नहीं किए जाएंगे ।

6. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"4. कोई व्यक्ति या अस्तित्व भारत से किए गए या अभिप्राप्त या पहुंच, में के किसी जैव संसाधनों पर अनुसंधान के किसी परिणाम को या उससे संबंधित सहबद्ध परंपरागत ज्ञान को धनीय प्रतिफल या अन्यथा के लिए धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना अपवर्जित संहिताबद्ध परंपरागत ज्ञान जो केवल भारत के लिए है, शेयर या अंतरित नहीं करेगा :

परन्तु इस धारा के उपबंध लागू नहीं होगे यदि अनुसंधान कागजपत्रों का प्रकाशन या वित्तीय लाभों सहित किसी सेमिनार या कार्यशाला में किसी ज्ञान का प्रसारण है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार है :

परन्तु यह और कि जहां अनुसंधान का परिणाम और अनुसंधान के लिए प्रयुक्त है तब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होगा :

परन्तु यह और भी कि यदि अनुसंधान का परिणाम भारत में या भारत के बाहर वाणिज्यिक उपयोग के लिए या किसी बौद्धिक संपदा को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त है तब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लेना अपेक्षित होगा ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 5 के उपधारा (1) में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में "धारा 3 और 4 के उपबंध" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कतिपय उपबंध" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंध अंतरण या जैव संसाधनों के विनिमय या संस्थानों के बीच उनके सहबद्ध परंपरागत ज्ञान सहित सहयोगकारी ज्ञान परियोजना जिसमें सरकार द्वारा प्रायोजित भारत के संस्थान और अन्य देशों में ऐसे संस्थान यदि ऐसे सहयोगकारी अनुसंधान परियोजनाएं उपधारा (3) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी करते हैं, को लागू नहीं होगे ।"।

धारा 6 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आने वाला कोई व्यक्ति या अस्तित्व बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए चाहे उसका जो भी नाम हो, भारत में या भारत से बाहर जैव संसाधनों पर किसी अनुसंधान या सूचना के आधार पर किसी अविष्कार के लिए जिसकी पहुंच भारत से है जिसमें उनके भारत के बाहर संग्रह में जमा किए गए या उनके सहबद्ध परंपरागत ज्ञान भी शामिल है, ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकार को प्रदान करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगे ।

(1क) धारा 7 के अधीन आने वाला कोई व्यक्ति चाहे उसका जो भी नाम हो, भारत में या भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी अविष्कार या जैव संसाधन पर सूचना जिसकी पहुंच भारत से हैं जिसमें भारत से बाहर संग्रह में उनके जमा या उनके सहबद्ध परंपरागत ज्ञान भी शामिल है, किसी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करेंगे, ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकार को प्रदान करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण कराना होगा ।

(1ख) धारा 7 के अधीन आने वाले कोई व्यक्ति जिसने बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त किया है चाहे उसका जो भी नाम हो, भारत में या भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी अविष्कार या जैव संसाधन पर सूचना जिसकी पहुंच भारत से हैं जिसमें भारत से बाहर संग्रह में उनके जमा या उनके सहबद्ध परंपरागत ज्ञान भी शामिल है, वाणिज्यीकरण के समय पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।" ।

(ख) धारा 3 में "संसद् द्वारा अधिनियमित" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 7 के स्थान पर नई धारा ।

9. मूल अधिनियम की धारा 7 की स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय प्रयोजन के लिए जैव संसाधान पहुंच करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला ।

"7. (1) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले व्यक्ति के सिवाय कोई व्यक्ति धारा 23 के खंड (ख) और धारा 24 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व सूचना दिए बिना वाणिज्य उपयोग के लिए किसी जैव संसाधन और उसके सहबद्ध ज्ञान तक पहुंच नहीं करेगा :

परन्तु इस धारा के उपबंध संहिताबद्ध परंपरागत ज्ञान, औषधि पौधों की खेती या उसके उत्पाद क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति और समुदाय को लागू नहीं होगे जिसमें जैव विविधता को उगाने वाले और कृषक, वैद्य, हकीम और रजिस्ट्रीकृत आयुष व्यावसायी, जो देशी औषधियों का व्यवसाय करते हैं, आहार और जीविका के लिए औषधि के भारतीय तंत्र सहित शामिल है ।

(2) कृषित औषधि पौधों के लिए उत्पत्ति का प्रमाणपत्र जारी करने की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए ।"।

धारा 8 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय चेन्नई और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित भारत में अन्य स्थान पर स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय में होगा ।" ;

(ख) उपधारा (4) में,—

(i) खंड (क), (ख) और खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग में पर्याप्त ज्ञान, विशेषज्ञ और लाभों के

ऋजु और साम्य अंशों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, विशेषज्ञ और अनुभव रखने वाला प्रबुद्ध व्यक्ति होगा ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति किए गए छह पदेन सदस्य निम्नलिखित के संबंध में मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे,—

(i) कृषि, अनुसंधान और शिक्षा ;

(ii) कृषि और किसान कल्याण ;

(iii) आयुर्वेद, युनानी, सिंधी, सोवा रिगप्पा, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी ;

(iv) जैव प्रौद्यौगिकी ;

(v) पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन ;

(vi) वन और वन्य जीव ;

(vii) भारतीय वन्य अनुसंधान और शिक्षा परिषद् ;

(viii) पृथ्वी विज्ञान ;

(ix) पंचायती राज ;

(x) विज्ञान और प्रौद्योगिकी ;

(xi) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान ;

(xii) जनजातिय कार्य ।

(ग) चक्रानुक्रम आधार पर राज्य जैव विविधता बोर्ड से चार प्रतिनिधि ;

(ii) खंड (घ) में,—

(क) "विशेषज्ञों" शब्द के स्थान पर "विशेषज्ञों, विधिक विशेषज्ञों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "साम्यपूर्ण" शब्दों के स्थान पर "ऋजु और साम्यपूर्ण" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) कोई सदस्य-सचिव जो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित मामलों में अनुभव रखता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।"

धारा 9 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में "अध्यक्ष और सदस्यों" शब्दों के स्थान पर "अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "सदस्य-सचिव शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

नई धारा 10क का अंत: स्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सदस्य-सचिव ।

"10क. (1) सदस्य-सचिव राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्य समन्वय अधिकारी और संयोजक होगा और इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निष्पादन में प्राधिकरण की सहायता करेगा ।

(2) सदस्य-सचिव ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो निहित किए जाए ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के प्रभावी निष्पादन और अपने कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए ऐसी संख्या में समिति भी गठित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।"

धारा 15 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

(i) "अध्यक्ष के या इस निमित्त राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य के हस्ताक्षर" शब्द के स्थान पर "अध्यक्ष या सदस्य-सचिव के या इस निमित्त राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य के हस्ताक्षर" शब्दों को अंत: स्थापित किया जाएगा ;

(ii) "अधिकारी के हस्ताक्षर" शब्दों के स्थान पर "सदस्य-सचिव या प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन ।

15. "मूल अधिनियम की धारा 16 में "किसी सदस्य" शब्दों के पश्चात् "सदस्य-सचिव" शब्द अंत: स्थापित किया जाएगा ।

धारा 18 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से जैव संसाधनों और उसके सहबद्ध परंपरागत ज्ञान के लिए और लाभों के ऋजु और साम्यपूर्ण अंश के लिए उपबंध करने के लिए विनियम बना सकेगा ।

(2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का कर्तव्य होगा, अनुमोदन को देने या इन्कार करने द्वारा धारा 3, धारा 4 और धारा 6 में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप को विनियमित करे ।"।

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (क) में "साम्यपूर्ण" शब्दों के स्थान पर "ऋजु और साम्यपूर्ण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में "विरासत स्थल" शब्दों के स्थान पर "जैव विविधता विरासत स्थल" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :—

"(खक) इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित किसी मामले पर राज्य जैव विविधता बोर्ड सलाह दे सकेगा ; ।" ;

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की ओर से किसी जैव संसाधन पर भारत से बाहर किसी देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रदान करने के विरूद्ध, जो भारत में है या लाए गए हैं, आवश्यक उपाय कर सकेगा जिसमें भारत से बाहर संग्रह में उनके जमा या उससे सहबद्ध परंपरागत ज्ञान पहुंच भी शामिल है ।"।

धारा 19 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(क) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो वाणिज्य उपयोग के लिए जैव संसाधन या उसके सहबद्ध परंपरागत ज्ञान में पहुंच का आशय रखता है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को ऐसे प्रारूप में और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा ।

(2) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट चाहे भारत में या भारत से बाहर पेटेंट या बौद्धिक संपदा अधिकार के किसी अन्य प्ररूप के लिए आवेदन करने का आशय रखता है तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस की संदाय पर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा ।

"(2क) धारा 6 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने के समय से भी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत हो जाएगा और धारा 6 की उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति वाणिज्यीकरण के समय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा ।" ;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस धारा के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी रीति में लाभ के हिस्से बांटना विनिश्चित करेगा ;

परन्तु यदि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसे क्रियाकलाप जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के उद्देश्यों या ऐसे क्रियाकलापों से होने वाले लाभों के ऋजु या साम्यपूर्ण हिस्से बांटने के लिए अहितकर या विरूद्ध है तो वह लिखित में कारणों को लिखते हुए आदेश द्वारा ऐसे क्रियाकलापों को प्रतिषेध या रोक सकेगा ;

परन्तु यह और की इन्कारी के लिए कोई ऐसा आदेश संबंधित व्यक्ति

को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।"।

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस धारा के अधीन प्रत्येक दिए गए अनुमोदन या इन्कारी के ब्यौरे पब्लिक डोमेन में रखेगा ।"

धारा 20 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में "जैव संसाधन या ज्ञान" शब्दों के स्थान पर "अनुसंधान के परिणाम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) कोई व्यक्ति या अस्तित्व जो जैव संसाधनों पर किसी अनुसंधान के परिणाम को अंतरण करने का आशय रखता है, जो भारत में है या भारत से लाया गया है जिसमें धनीय प्रतिफल या अन्यथा के लिए धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए भारत से बाहर संग्रह में उनके जमा या उससे सहबद्ध परंपरागत ज्ञान भी शामिल है, वह राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसे संदाय पर जो विहित किया जाए, आवेदन कर सकेगा ।"।

(iii) उपधारा (2) में "जैव संसाधन या उससे संबंधित ज्ञान" शब्दों के स्थान पर "अनुसंधान के परिणाम" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसी शर्तों और निबंधानों के अधीन जो वह आवश्यक समझे जिसमें लाभों के हिस्से बांटना या अन्यथा शामिल है, मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार आदेश द्वारा अनुमोदन प्रदान कर सकेगा या लिखित में कारणों को रिकॉर्ड करके आवेदन को रद्द कर सकेगा :

परन्तु रद्द करने का कोई आदेश संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस धारा के अधीन प्रत्येक प्रदान किया गया अनुमोदन या रद्द करने के ब्यौरे पब्लिक डोमेने में रखे जाएंगे ।"।

धारा 21 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में "साम्यपूर्ण" शब्दों के स्थान पर "ऋजु और साम्यपूर्ण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए अनुमोदन के लिए लाभ बांटा जाना विनिश्चित करते समय यह

सुनिश्चित करेगा कि जिन निबंधनों और शर्तों के अधीन अनुमोदन दिया गया है, उनका जैव संसाधन पहुंच का उपयोग, उनके व्युत्पाद, नवपरिवर्तन और ऐसे अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के बीच निबंधन और शर्तों के पारस्परिक करार के अनुसार उनसे संबंधित उनके उपयोग से सहबद्ध आचरण और उपयोजन तथा ज्ञान सुरक्षित है और जैव विविधता प्रबंध समिति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा रूपित है ।"

(ग) उपधारा (3) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां जैव संसाधन या सहबद्ध ज्ञान किसी व्यष्टिक या व्यक्टिक के समुह या संगठन से पहुंच का परिणाम था, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि राशि ऐसे फायदे का दावा करने वाला व्यक्ति या संगठन को किसी करार के निबंधनों के अनुसार और ऐसी रीति में जैसा वह आवश्यक समझे, सीधे संदत्त की जाए ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(i) उपधारा (2) में, परंतुक में "व्यक्तियों के समूह" शब्दों के पश्चात, "या निकाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में, खंड (क) (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) अध्यक्ष, जैव विविधता संरक्षण, उसके सतत् उपयोग तथा उचित और साम्यापूर्ण फायदों में हिस्सा बटाने से संबंधित विषयों में पर्याप्त ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाला ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) सात से अनधिक पदेन सदस्य जो राज्य सरकार के संबद्ध विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जिसके अंतर्गत पंचायती राज और अनुसूचित जनजाति मामले से संबंधित विभाग भी है ;

(ग) पांच से अनधिक अशासकीय सदस्य जो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखने वाले वैज्ञानिकों, जैव संसाधनों के सतत् उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत उचित और साम्यापूर्ण फायदों में हिस्सा बटाने से संबंधित विषयों के विशेषज्ञता, विधिक विशेषज्ञों में से नियुक्त किए जाएंगे ।"।

धारा 23 का संशोधन ।

21 मूल अधिनियम की धारा 23 में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात :—

"(क) केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए मुद्दों, विनियमों या दिशा निदेशों की सुनिश्चिता में, यदि कोई हो, जो जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के सतत् उपयोग तथा जैव संसाधनों या उसके सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उद्भूत उचित और साम्यापूर्ण फायदों में हिस्सा बटाने से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना;

(ख) अनुमोदनों को मंजूर करने या निरस्त करने के द्वारा धारा 7 में निर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप को विनियमित करना ;

(खक) उचित और साम्यापूर्ण फायदों में हिस्सा बटाने की अवधारणा करना है जैसा कि अनुमोदनों को मंजूर करते समय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा इस ओर से किए गये विनियमों के अधीन उपबंध किया गया है ;"।

धारा 24 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी अर्थात् :—

"(1). धारा 7 के अधीन आने वाली किसी क्रियाकलाप को अपनाने का आशय रखते हुए धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय कोई व्यक्ति, उस प्ररूप में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व आशय देगा ।";

(ख) उपधारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यदि राज्य जैव विविधता बोर्ड की यह राय कि ऐसा क्रियाकलाप जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग के उदेश्यों के लिए या ऐसे क्रियाकलाप से उदभूत उचित और साम्यापूर्ण फायदों में हिस्सा बटाने हानिकारक या प्रतिकूल है, वह ऐसे क्रियाकलाप को आदेश द्वारा प्रतिबंधित या अस्वीकृत कर सकता है :

परंतु निरस्त करने का ऐसा कोई आदेश संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के बिना नहीं दिया जाएगा ।

(4) राज्य जैव विविधता बोर्ड इस धारा के अधीन प्रदान किए गए या अस्वीकृत किए गए प्रत्येक अनुमोदन के विवरणों को लोकाधिकारी के क्षेत्र में रखेगा ।"।

धारा 27 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(i) उपधारा (1) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :—

"(ख) सभी रकम जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त साझा की गयी रकम का प्रभार और फायदा भी है ;";

(ii) उपधारा (2) में, —

(अ) आरंभिक भाग में, "लागू" शब्द के स्थान पर "उपयोग" शब्द रखा जाएगा ;

(आ) खंड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात :—

"(ख) जैव संसाधन का संरक्षण और सतत् उपयोग ;

(ग) ऐसे क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास जहां ऐसे जैव संसाधन या सहबद्ध ज्ञान को जैव विविधता प्रबंधन समिति या सम्बद्ध स्थानीय निकाय के साथ परामर्श में अभिगम किया गया है :

परंतु जब ऐसे क्षेत्र की पहचान करना जब संभव नहीं होता है जहां जैव संसाधन या सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान अभिगम है, ऐसे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निधियों का उपयोग किया जाएगा जहां ऐसी जैव संसाधन उत्पन्न होते है ;

(घ) अधिनियम के प्रयोजन से मिलने वाले क्रियाकलाप ।"।

धारा 32 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 32 में,—

(i) उपधारा (1) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) सभी रकम जिसमें राज्य जैव विविधता प्राधिकरण और अन्य साधन से जिसका राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए, प्राप्त साझा की गयी रकम का प्रभार और फायदा भी है ;";

(ii) उपधारा (2) में,—

(अ) आरंभिक भाग में, "लागू" शब्द के स्थान पर "उपयोग" शब्द रखा जाएगा ;

(आ) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा,—

"(कक) फायदे के दावेदार के लिए चयनितकृत;";

(इ) खंड (ग) में, "संवर्धन" शब्द के स्थान पर "अवधानिता" शब्द रखा जाएगा ;

(ई) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :—

"(घ) ऐसे क्षेत्रों का सामाजिक - आर्थिक विकास जहां ऐसे जैव संसाधन या सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान को जैव विविधता प्रबंधन समिति या सम्बद्ध स्थानीय निकाय के साथ परामर्श में अभिगम किया गया है :

परंतु जब ऐसे क्षेत्र की पहचान करना जब संभव नहीं होता है जहां जैव संसाधन या सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान अभिगम है, ऐसे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निधियों का उपयोग किया जाएगा जहां ऐसी जैव संसाधन उत्पन्न होते है ;"।

(उ) खंड (इ) निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(इ) जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए मंजूरी या ऋण लेना

(च) अधिनियम के प्रयोजन में मिलने के लिए क्रियाकलाप ।"।

धारा 36 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 36 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात :—

"जैव विविधता के संरक्षण" और सतत् उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कूटनीतियों और योजनाओं आदि का विकसित किया जाना";

(ii) उपधारा (1) में, "जैव संसाधनों के संरक्षण, प्रोत्साहन" शब्दों के स्थान पर

"जैव संसाधनों का संरक्षण जिसके अंतर्गत कृषिजोपजाति, लोक किस्म और भूमि प्रजाति, प्रोत्साहन" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा 3 में, "सुसंगत क्षेत्रीय या प्रतिक्षेत्रीय योजनाओं, कार्याक्रमों और नीतियों" शब्दों के स्थान पर "सुसंगत क्षेत्रीय या प्रतिक्षेत्रीय योजनाओं, कार्याक्रमों" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (5) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) केन्द्रीय सरकार में जैव विविधता या उसके सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और सतत् उपयोग हेतु उपायों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता प्राधिकरण अंतवर्लित है"

नई धारा 36क और 36ख का अंत:स्थापन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 36 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात :—

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अपनाये जाने वाले उपाय ।

"36क. केन्द्रीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय आक्षेपों जिसमें भारत हस्ताक्षर करने वाला है, से मिलने के क्रम में विदेश से प्राप्त जैव संसाधन के अभिगम और उपयोग के लिए भारत के क्षेत्राधिकार के भीतर आवश्यक उपाय की मॉनीटरी करने और विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या किसी अन्य संगठन को प्राधिकृत कर सकता है ।

जैव विविधता के संरक्षण" और सतत् उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कूटनीतियों और योजनाओं आदि का विकसित किया जाना ।

36ख. राज्य सरकार जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन और सतत् उपयोग के लिए कूटनीतिक, योजना, कार्यक्रमों को विकसित करेगी जिसके अंतर्गत जैव संसाधनों, स्व स्थानी और वह स्थानी के संवर्धन जैव संसाधनों के संरक्षण जिसमें राष्ट्रीय कूटनीतिक, योजना तथा कार्यक्रमों की सुनिश्चितता में जैव विविधता के संबंध में जागरूकता का संवर्धन करके अनुसंधान, प्रशिक्षण और जनशिक्षा के लिए कृषिजोपजाति, लोक किस्म और भूमि प्रजाति भी है, में धनीय क्षेत्रों की पहचान और मॉनीटरी करने के लिए उपाय करना भी सम्मिलित है"

(2) राज्य सरकार जहां तक व्यवहार्य हो जहां कहीं यह सुसंगत क्षेत्रीय नीतियों या प्रतिक्षेत्रीय योजनाओं तथा कार्यक्रमों में जैव विविधता का संरक्षण, संवर्धन और सतत् उपयोग का समुचित, एकीकृत होना प्रतीत होता है ।"।

धारा 37 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 37 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य जैव विविधता बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जैव विविधता विरासतीय स्थलों के रूप में जैव विविधता के महत्व के क्षेत्र को राजपत्र में समय-समय पर अधिसूचित करेगी:

परंतु राज्य जैव विविधता बोर्ड ऐसी सिफारिशों को करने से पूर्व स्थानीय निकाय और संबद्ध जैव विविधता प्रबंध समिति से परामर्श करेगा ।";

(ख) उपधारा (2) में "विरासतीय स्थलों" शब्दों के स्थान पर, "जैव विविधता विरासतीय स्थल" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 28 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 38 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"परंतु केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को ऐसी शक्तियां प्रत्योजित कर सकती है :

परंतु यह और कि जहां ऐसी शक्ति राज्य सरकार को प्रत्योजित की जाती है ऐसी किसी सूचना को जारी करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से परामर्श किया जाएगा ।"।

धारा 40 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

29. मूल अधिनिमय की धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :—

इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय मामलों में लागू ना होना ।

"40 इस अधिनियम में अंतर्विष्ट होते हुए भी केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श में घोषणा करेगी कि इस अधिनियम की सभी या किन्हीं उपबंध जैव संसधानों के लिए लागू नहीं होंगे जब वस्तुओं या उनसे उत्पन्न किसी मद के रूप में सामान्यत: व्यापार किया जाता है जिसके अंतर्गत कृषि संबंधित अपशिष्ट भी है जैसा कि धारा 7 के अधीन कवर किए जाने वाले इकाई के लिए अधिसूचित और खेती योग्य चिकित्सीय पौधे और उनके उत्पाद के रूप में किए गये विनियमों के अनुसार या यथाविहित रजिस्ट्रीकृत किए गये है :

परंतु धारा 6 की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के लिए कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी" ।"।

धारा 41 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 41 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में नगरपालिका स्तर पर नगर पंचायत या नगरपालिका समिति और प्रत्येक स्थानीय निकाय संरक्षण के संवर्धन, जैव विविधता के सतत् उपयोग और प्रलेखीकरण के संबंध में, भूमि प्रजातियों, लोक किस्मों किसानों की क़िस्मों और कृषिजोपजातियों, पशुओं और पशुओं तथा सूक्ष्म जीवों के घरेलूकृत स्टाक और प्रजनन संरक्षण और जैव विविधता से संबंधित ज्ञान को श्रृंखलाबद्ध करने के प्रयोजन के लिए अपने क्षेत्र के भीतर जैव विविधता प्रबंध समिति (किसी भी नाम से ज्ञात) का गठन करेगा :

परंतु राज्य सरकार अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्यवर्ती या जिला पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन कर सकेगी ।

(1क) इस प्रकार गठित किए गए जैव विविधता प्रबंध समिति के कृत्य में जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखीकरण सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत भूमि प्रजातियों, लोक किस्मों और कृषिजोपजातियों, पशुओं और पशुओं तथा सूक्ष्म जीवों के घरेलूकृत स्टाक और प्रजनन संरक्षण और जैव विविधता से संबंधित ज्ञान सम्मिलित है ।

(1ख) जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन ऐसे किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए :

परंतु उक्त समिति के सदस्यों की संख्या सात से अन्यून और ग्यारह से अधिक नहीं होगी ।'';

(ख) उपधारा (2) में, ''और ऐसे संसाधनों से सहबद्ध ज्ञान'' शब्दों के स्थान पर ''अथवा उसके सहयुक्त पारम्परिक ज्ञान'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कृषिजोपजाति" से पौधे की ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो खेती-बाड़ी से पैदा होती है और बढ़ती रहती है या खेतीबाड़ी के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से उगाई गई थी ;

(ख) "लोक किस्म" से पौधे की पैदा की गई वह किस्म अभिप्रेत है जो कृषकों के बीच अनौपचारिक रूप से विकसित, उगाई और विनिमय की गई थी;

(ग) "भूमि प्रजाति" से पुरातन कृषिजोपजाति अभिप्रेत है जो प्राचीन कृषकों और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उगाई जाती थी ;

(घ) ''किसानों की किस्म'' से वह किस्म अभिप्रेत है जो–

(i) अपने क्षेत्र में किसानों द्वारा पारम्परिक रूप से कृषि की उपज की जाती हो और विकसित किया हो ; अथवा

(ii) वन्य संबंध या भूमि प्रजाति की किस्म, जिसके बारे में किसान सामान्य ज्ञान धारण करते हो ;'';

धारा 43 का संशोधन ।

31. मूल अधिनिमय की धारा 43 में, उपधारा (1) में खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :—

''(ङ) ऐसे अन्य संसाधनों से स्थानीय जैव विविधता निधि द्वारा प्राप्त साझा की गई फायदे की रकम और सभी राशियां जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं ।

धारा 44 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :—

स्थानीय जैव विविधता निधि का उपयोजन ।

"44 (1) स्थानीय जैव विविधता निधि में इस निमित्त बनाए गए विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाएगा, जिसमें—

(क) जैव विविधता का संरक्षण, जिसके अंतर्गत क्षेत्रों का पुन:संग्रहण है ;

(ख) संबद्ध संरक्षण के सहयोजन के बिना समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास ; और

(ग) जैव विविधता प्रबंध समिति का प्रशासनिक व्यय ।

(2) निधि का उपयोग उस रीति में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।"।

धारा 45 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 45 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :—

जैव विविधता प्रबंध समिति की वार्षिक विवरण ।

"45. स्थानीय जैव विविधता निधि की अभिरक्षा, ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे समय पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, अपनी वार्षिक विवरण तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए उसकी एक प्रति राज्य जैव विविधता की प्रति के साथ संबद्ध स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा ।"।

धारा 46 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 46 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :—

जैव विविधता प्रबंध समिति के लेखाओं की लेखापरीक्षा ।

"46. (1) जैव विविधता प्रबंध समिति लेखा का रखरखाव करेगी जिसकी उस रीति में संपरीक्षा की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) जैव विविधता प्रबंध समिति संबद्ध स्थानीय निकाय तथा राज्य जैव विविधता बोर्ड को उस तारीख से पूर्व जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, उस पर संपरीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक संपरीक्षित प्रति देगा ।"।

धारा 50 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 50 में, पार्श्व शीर्ष में "राज्य जैव विविधता बोर्ड के बीच" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 52 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 52 में उपधारा (1) में, "फायदे में हिस्सा बांटने या आदेश" शब्दों के स्थान पर, "फायदों में उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बांटने या आदेश या निदेश" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 53 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 53 में,—

(i) "फायदे में हिस्सा बांटने या आदेश" शब्दों के स्थान पर, "फायदों में उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बांटने" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश" शब्दों के पश्चात् "अथवा राष्ट्रीय हरित अभिकरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) "उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार" शब्दों के पश्चात् "अथवा राष्ट्रीय हरित अभिकरण का रजिस्ट्रार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) स्पष्टीकरण में "व्यक्तियों के समूह" शब्दों के पश्चात्, जहां कहीं वे आते हैं "या निकाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 55 के स्थान पर नई धारा 55, धारा 55क और धारा 55ख का प्रतिस्थापन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 55 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

शास्तियां ।

''55. धारा 3 अथवा धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन आने वाला कोई व्यक्ति या अधीन धारा 3 की उपधारा (1) (1) के खंड (क) और खंड (ख) या धारा 4 या धारा 6 या धारा 7 के उपबंधों के उल्लंघन या उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा, ऐसा व्यक्ति ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक होगी, किन्तु जहां शास्ति की रकम कारित क्षति से अधिक है, ऐसी शास्ति कारित की गई क्षति के प्रतिकर के लिए दायी होगी और लगातार विफलता या अतिलंघन के मामले में अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी तथा ऐसी शास्ति धारा 55क के अधीन नियुक्त किए गए न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएगी ।

शास्तियों का न्यायनिर्णयन ।

55क. (1) धारा 55 के अधीन शास्तियों के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार विहित रीति में जांच करने और इस प्रकार अवधारित की गई शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से कम का नहीं होगा :

परंतु केंद्रीय सरकार बहुत से न्यायनिर्णयन अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, जैसा अपेक्षित हो ।

(2) किसी जांच को करते समय, न्यायनिर्णयन अधिकारी को साक्ष्य देने और दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ अवगत किसी व्यक्ति को समन जारी करने और उपस्थिति को प्रवर्तित करने की शक्ति होगी जिसमें न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में किसी जांच के विषय मामले के लिए उपयोगी हो या सुसंगत हो, और यदि ऐसी जांच पर उसका यह समाधान होता है कि संबद्ध व्यक्ति धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) या धारा 4 या धारा 6 या धारा 7 के उपबंधों के अनुपालन में असफल होता है, वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह धारा 55 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे :

परंतु मामले में संबद्ध व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए ऐसी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित किए गए राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील कर सकता है । 2010 का 19

(4) उपधारा (3) के अधीन की गई प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी, जिस तारीख को न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त होती है ।

(5) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपील के लिए पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह उसके विरुद्ध की गई अपील के आदेश को सुनिश्चित करने, उपांतरित करने या एकपक्षीय करने के लिए उचित समझे ।

प्रवेश, निरीक्षण, सर्वे, आदि करने की शक्ति ।

55ख. केंद्रीय सरकार द्वारा सशक्त कोई प्राधिकारी या अधिकारी निरीक्षण, सर्वे या किसी अन्य क्रियाकलाप को करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) किसी भूमि, वाहन या किसी परिसर में प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण, अन्वेषण, सर्वे तथा जानकारी एकत्रित करने तथा उसका नक्शा बनाने और सामग्रियों तथा अभिलेखों की अभिग्रहण करने की शक्ति ;

(ख) किसी एक की उपस्थिति को पूर्ण करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां, जिसके अंतर्गत साक्षियों तथा दस्तावेजों और प्रायोजित सामग्रियों का प्रस्तुत किया जाना भी सम्मिलित है ;

(ग) तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति ;

(घ) ऐसी जांच, प्राप्ति और अभिलेख साक्ष्य के अनुक्रम में जांच करने की शक्ति ;

(ङ) ऐसी अन्य शक्ति, जो विहित की जाए ।''।

धारा 58 का लोप किया जाना ।

39. मूल अधिनियम की धारा 58 का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 59क का अंत:स्थापन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 59 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय व्यक्तियों पर अधिनियम का लागू नहीं होना ।

''59क. इस अधिनियम के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जिसने उस सीमा तक संसद् द्वारा अधिनियमित पौधे की प्रजातियों के संरक्षण के संबंध में किसी विधि के अधीन कोई अनुमोदन या मंजूर कोई अधिकार प्रदान किया गया है ।

धारा 61 का संशोधन ।

41. मूल अधिनियम की धारा 61 में,—

(क) आरंभिक पैरा में, ''शिकायत'' शब्दों के स्थान पर, "लिखित शिकायत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, "ऐसे किसी फायदे के दावेदार" शब्दों के स्थान पर, "कोई व्यक्ति या फायदे के दावेदार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 62 का संशोधन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

''(क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन औषधीय पौधों की खेती के लिए उत्पत्ति का प्रमाणपत्र जारी करने की रीति ;

(कक) धारा 9 के अधीन अध्यक्ष, सदस्य सचिव की सेवा के निबंधन और शर्तें ;'';

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(खक) सदस्य सचिव द्वारा किए गए अन्य कृत्य ;'';

(iii) खंड (ङ) में, ''आवेदन'' शब्द के पश्चात् "और फीस का संदाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङक) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस का संदाय ;

(v) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ञक) धारा 55क के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच करने की रीति ;

(ञख) धारा 55ख के खंड (ङ) के अधीन अन्य शक्ति ;"।

धारा 63 का संशोधन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 63 में, उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(ङक) धारा 41 की उपधारा (1ख) के अधीन जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन ;";

(ii) खंड (च) में, ''लागू किया जाना" शब्दों के स्थान पर, "उपयोग किया गया" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (छ) में, ''वार्षिक रिपोर्ट" शब्दों के स्थान पर, "वार्षिक विवरण" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जैव विविधता अधिनियम, 2002 जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के सतत् उपयोग और जैव संसाधनों, ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभों में उचित और साम्यापूर्ण हिस्से बांटने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. उक्त अधिनियम, पहुंच और फायदों में हिस्से बांटने पर जैव विविधता और नागोया प्रोटोकॉल के संरक्षण के अधीन भारतीय बाध्यताओं को पूरा करने के लिए है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जैव संसाधनों और सहयुक्त परंपरागत ज्ञान के उपयोग से व्युत्पन्न लाभों के स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के बीच उचित और साम्यपूर्ण रीति से हिस्से बांटे जाएं ।

3. उक्त अधिनियम, यथास्थिति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र जैव विविधता परिषदों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों से मिलकर बनी विकेन्द्रीकृत तीन स्तरीय बने तंत्र का उपबंध करता है । जैव विविधता प्रबंध समिति स्थानीय स्वशासी निकायों का आवश्यक भाग है, जिनके अंतर्गत पंचायत और नगरपालिका भी है, प्रत्येक जैव विविधता प्रबंध समिति जनता के जैव विविधता रजिस्ट्रर तैयार करती है, जो सभी वनस्पतियों और प्राणियों का अभिलेख रखते है जिसके अंतर्गत उनके क्षेत्र में उपलब्ध परंपरागत ज्ञान के ब्यौरे भी हैं ।

4. उक्त अधिनियम जैव या आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और हिस्से बांटने के लिए तंत्र तथा जैव विविधता प्रबंध समितियों के साथ उनसे उद्भूत उचित और साम्यपूर्ण फायदों का उपबंध करता है और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र जैव विविधता परिषदें और जैव विविधता प्रबंध समिति अंतर सबंधित हैं तथा अनुसंधान, पेटेंट परिणामों के अंतरण और जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों तक पहुंचने के दौरान पहुंच और फायदों के हिस्से बांटना, सुनिश्चित करते हैं ।

5. इस पृष्ठ भूमि में भारतीय औषधि प्रणाली सेक्टर, बीज सेक्टर, उद्योग सेक्टर और अनुसंधान सेक्टर का प्रतिनिधित्व करके पणधारियों द्वारा सहयोगितापूर्ण अनुसंधान और निवेशों के लिए अनुकूल वातावरण प्रोत्साहित करके, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया के सरलीकरण, स्थानीय समुदायों के साथ उद्धहरण पहुंच और फायदों के हिस्से बांटने के दायरे का विस्तार करने तथा जैव संसाधनों का और संरक्षण करने के लिए अनुपालन बोझ को सरल करके, सरल और कारगर तथा उसे घटाने पर जोर देते हुए चिंताए व्यक्त की गईं ।

6. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए है,—

(i) औषधीय पौधों की उपज बढाकर वन्य औषधि पौधों पर दबाव कम करना ;

(ii) भारतीय औषधि प्रणाली का प्रोत्साहन करना ;

(iii) जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और इसके नागोया प्रोटोकाल के

उद्देश्यों से समझौता किए बिना भारत में उपलब्ध जैव संसाधनों का उपयोग करते हुए, अनुसंधान को त्वरित करके, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों के अन्तरण को सुकर बनाना ;

(iv) कतिपय उपबंधों को गैर-आपराधिक बनाना ;

(v) राष्ट्रीय हित से समझौता किए बिना जैव संसाधनों की श्रृखंला में अधिक विदेशी निवेश लाना, जिसके अंतर्गत अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग भी है ।

7. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
9 दिसम्बर, 2021

भूपेन्द्र यादव

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध में भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 16 जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 18 का संशोधन करने के लिए है, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को जैव संसाधनों और उसके सहयुक्त पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच तथा उचित और साम्यापूर्ण फायदे में हिस्से का अवधारण करने का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ विनियमों को बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 17 उक्त अधिनियम की धारा 19 का संशोधन करने के लिए है, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को उस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन मंजूर करते समय फायदे के दावेदार के अवधारण की रीति का उपबंध करने के लिए विनियमों को बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 42 केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है । उक्त खंड केंद्रीय सरकार को अन्य बातों के साथ (i) औषधीय पौधों की खेती के लिए उत्पत्ति का प्रमाणपत्र जारी करने की रीति ; (ii) सदस्य सचिव की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा सदस्य सचिव द्वारा किए गए अन्य कृत्य ; (iii) किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा जैव संसाधनों पर किसी अनुसंधान के परिणाम के अंतरण के लिए अनुमोदन की मंजूरी हेतु आवेदन का प्ररूप और फीस का संदाय ; (iv) न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच करने की रीति ; (v) किसी प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा सशक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण, सर्वे या ऐसे किसी क्रियाकलाप को करने के लिए अपेक्षित अन्य शक्तियां–से संबंधित मामलों के बारे में नियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 43 राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है । उक्त खंड राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करने का उपबंध करने के लिए नियम बनाने की शक्ति के लिए है ।

वे विषय, जिनके संबंध में नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 18) से उद्धरण

* * * * *

भारत जैव विविधता और उससे संबंधित सहबद्ध पारंपरिक और समसामयिक ज्ञान पद्धति में समृद्ध है ;

और भारत 5 जून, 1992 को रियो दि जेनेरो में हस्ताक्षर किए गए जैव विविधता से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में एक पक्षकार है;

और उक्त कन्वेंशन 29 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ ;

और उक्त कन्वेंशन में राज्यों के अपने जैव संसाधनों पर सम्प्रभु अधिकारों की पुन: अभिपुष्टि की गई है ;

और उक्त कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, इसके अवयवों का सतत् उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाना है ;

और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सतत् उपयोग और उनके उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने और उक्त कन्वेंशन को प्रभावी करने के लिए भी उपबंध करना आवश्यक समझा गया है ;

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "फायदे के दावेदार" से जैव संसाधनों, उनके उपोत्पादों के संरक्षक, ऐसे जैव संसाधनों के उपयोग, ऐसे उपयोग और उपयोजन से सहबद्ध नवपरिवर्तनों तथा व्यवहारों से संबंधित ज्ञान और जानकारी के सर्जक और धारक अभिप्रेत हैं;

(ख) "जैव विविधता" से सभी संसाधनों से सप्राण जीवों के बीच परिवर्तनशीलता और पारिस्थितिक जटिलताएं जिनके वे भाग हैं अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत प्रजातियों में या प्रजातियों और पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच विविधता भी है ;

(ग) "जैव संसाधनों" से पौधे, जीव-जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, वास्तविक या संभावित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद (मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर) अभिप्रेत हैं किन्तु इसके अंतर्गत मानव आनुवंशिक पदार्थ नहीं हैं ;

(घ) "जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग" से किसी प्रयोजन के लिए जैव संसाधनों की प्रजातियों, उपप्रजातियों, जीन, अवयवों और सत्व का सर्वेक्षण या संग्रहण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अभिलक्षण, वर्णन, आविष्करण और जैव आमापन भी है ;

* * * * *

अध्याय 2

जैव विविधता तक पहुंच का विनियमन

3. (1) * * * *

कतिपय व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना जैव विविधता से संबंधित क्रियाकलापों का न किया जाना ।

(2) वे व्यक्ति जिनको, उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा, निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

* * * * *

(ग) ऐसा निगमित निकाय या संगम या संगठन जो—

* * * * *

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत है जिसकी शेयर पूंजी या प्रबंध में कोई गैर भारतीय भागीदारी है ।

अनुसंधान के परिणाम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना कतिपय व्यक्तियों को अंतरित नहीं किए जाएंगे ।

4. कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, भारत में पाए जाने वाले या भारत से अभिप्राप्त किन्हीं जैव संसाधनों से संबंधित किसी अनुसंधान के परिणामों को किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है या भारत का ऐसा नागरिक है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (30) में यथापरिभाषित अनिवासी है; या ऐसे निगमित निकाय या संगठन को जो भारत में रजिस्ट्रीकृत या निगमित नहीं है, अथवा जिसकी शेयर पूंजी या प्रबंध में कोई गैर भारतीय भागीदारी है, धनीय प्रतिफल के लिए या अन्यथा अंतरित नहीं करेगा ।

1961 का 43

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अंतरण" के अंतर्गत अनुसंधान, कागज-पत्रों का प्रकाशन या किसी सेमिनार या कार्यशाला में किसी ज्ञान का प्रसारण नहीं है यदि ऐसा प्रकाशन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार है ।

धारा 3 और धारा 4 का कतिपय सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को लागू न होना ।

5. (1) धारा 3 और धारा 4 के उपबंध ऐसी सहयोगी परियोजनाओं को लागू नहीं होंगे जो जैव संसाधनों या उससे संबंधित सूचना के संस्थाओं के बीच जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय संस्थाएं भी हैं, और अन्य देशों में ऐसी संस्थाओं के बीच अंतरण या विनिमय में लगी हुई हैं, यदि ऐसी सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हैं ।

* * * * *

बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आवेदन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।

6. (1) कोई भी व्यक्ति भारत में या भारत के बाहर किसी ऐसे आविष्कार के लिए जो भारत से अभिप्राप्त किसी जैव संसाधन संबंधी किसी अनुसंधान या जानकारी पर आधारित हो, किसी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए, चाहे उसका कोई भी नाम हो, आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना आवेदन नहीं करेगा :

परन्तु यदि और कोई व्यक्ति पेटेन्ट के लिए आवेदन करता है तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुज्ञा पेटेन्ट के स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् किन्तु संबद्ध पेटेन्ट प्राधिकरण द्वारा पेटेन्ट पर मुद्रा लगाने से पूर्व अभिप्राप्त की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण उसका अनुज्ञा के लिए किए गए आवेदन का निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर

करेगा ।

* * * * *

(3) इस धारा के उपबंध ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जो संसद् द्वारा अधिनियमित पौधा किस्म के संरक्षण से संबंधित किसी विधि के अधीन किसी अधिकार के लिए आवेदन कर रहा है ।

* * * * *

कतिपय प्रयोजनों के लिए जैव संसाधन अभिप्राप्त करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला

7. ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या ऐसा निगमित निकाय, संगम या संगठन है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई जैव संसाधन या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग संबद्ध राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला देने के पश्चात् ही अभिप्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु इस धारा के उपबंध उस क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति या समुदायों को लागू नहीं होंगे जिनके अंतर्गत जैव विविधता के उगाने वाले और कृषक, और ऐसा वैद्य और हकीम है जो देशी औषधियों का व्यवसाय कर रहे हैं ।

अध्याय 3

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना ।

8. (1) * * * *

(3) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय चैन्नई में होगा और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

(4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो जैव विविधता के संरक्षण, उसके सतत् उपयोग तथा फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से संबंधित विषयों में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाला ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

(ख) तीन पदेन सदस्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किए जाएंगे, जिनमें से एक सदस्य जनजाति कार्यों से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए और दो पर्यावरण और वन से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए होंगे जिसमें से एक वन अपर महानिदेशक या वन महानिदेशक होगा;

(ग) निम्नलिखित से संबंधित केन्द्रीय सरकार के संबद्ध मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सात पदेन सदस्य—

(i) कृषि अनुसंधान और शिक्षा ;

(ii) जैव प्रौद्योगिकी ;

(iii) समुद्र विकास;

(iv) कृषि और सहकारिता ;

(v) भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी पद्धतियां;

(vi) विज्ञान और प्रौद्योगिकी ;

(vii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान ;

(घ) ऐसे पांच गैर शासकीय सदस्य जो ऐसे विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से नियुक्त किए जाएंगे जिनके पास जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के सतत् उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग के उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से संबंधित विषयों में ज्ञान और अनुभव हो और जो उद्योग के प्रतिनिधि, जैव संसाधनों के संरक्षक, सर्जक और जानकारी धारण करने वाले हों ।

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा-शर्तें ।

9. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

* * * * *

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की समितियां ।

13. (1) * * * *

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन और कृत्यों के अनुपालन के लिए उतनी संख्या में समितियों का गठन कर सकेगा जो वह ठीक समझे

* * * * *

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन ।

15. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के या इस निमित्त राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निष्पादित सभी अन्य लिखतें इस निमित्त राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

16. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, लिखित, साधारण या विशेष आदेश द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 50 के अधीन अपील करने और धारा 64 के अधीन विनियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर), जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

* * * * *

अध्याय 4

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कृत्य और शक्तियां

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कृत्य ।

18. (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का, धारा 3, धारा 4 और धारा 6 में निर्दिष्ट क्रियाकलापों को विनियमित करने और विनियमों द्वारा जैव संसाधनों तक पहुंच और फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करने का कर्तव्य होगा ।

(2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, धारा 3, धारा 4 और धारा 6 में निर्दिष्ट क्रियाकलाप करने के लिए अनुमोदन अनुदत्त कर सकेगा ।

(3) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण,—

(क) केन्द्रीय सरकार को, जैव विविधता संरक्षण, उसके अवयवों के सतत् उपयोग और जैव विविधता संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के संबंध में सलाह दे सकेगा ;

(ख) राज्य सरकारों को, जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों के चयन में, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किए जाने हैं तथा ऐसे विरासत स्थलों के प्रबंध के उपाय के चयन में सलाह दे सकेगा ;

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों को कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

(4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की ओर से भारत से अभिप्राप्त किसी जैव संसाधन या ऐसे जैव संसाधन से जो भारत से व्युत्पन्न हुआ है, सहयोजित जानकारी के संबंध में भारत के बाहर किसी देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों को मंजूर करने का विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकेगा ।

अध्याय 5

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन

कतिपय क्रियाकलाप करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन ।

19. (1) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो भारत में पाए जाने वाले किसी जैव संसाधन को या उससे सहयोजित ज्ञान को, अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिए अथवा भारत में पाए जाने वाले या भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन से संबंधित किसी अनुसंधान के परिणामों के अंतरण को प्राप्त करने के लिए आशयित हैं, ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति, जो भारत में या भारत के बाहर धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पेटेन्ट के लिए या बौद्धिक संपदा संरक्षण के किसी अन्य प्रकार के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

* * * * *

(4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इस धारा के अधीन दिए गए प्रत्येक अनुमोदन की सार्वजनिक सूचना देगा ।

जैव संसाधन या ज्ञान का अन्तरण ।

20. (1) कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 19 के अधीन अनुमोदन अनुदत्त किया गया है किसी ऐसे जैव संसाधन या उससे सहबद्ध ज्ञान को, जो उक्त अनुमोदन की विषयवस्तु है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी जैव संसाधन या उससे सहबद्ध ज्ञान को अंतरित करना चाहता है, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और यदि आवश्यक हो तो इस प्रयोजन के लिए गठित किसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श करने पश्चात् आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे, जिनके अंतर्गत रायल्टी

के रूप में प्रभारों का अधिरोपण भी है अनुमोदन अनुदत्त कर सकेगा या लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन को नामंजूर कर सकेगा :

परन्तु यह कि नामंजूरी का ऐसा कोई आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(4) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इस धारा के अधीन दिए गए प्रत्येक अनुमोदन की सार्वजनिक सूचना देगा ।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा साम्यापूर्ण फायदे में हिस्सा बंटाने का अवधारण ।

21. (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, धारा 19 या धारा 20 के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, उपलब्ध जैव संसाधनों से उपयोग से उद्भूत फायदों, उनके उपोत्पादों, उनके उपयोग से सहबद्ध नवपरिवर्तनों तथा व्यवहारों और उनसे संबंधित उपयोजनों तथा ज्ञान का, ऐसे अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति, संबंधित स्थानीय निकाय और फायदे के दावेदारों के बीच पारम्परिक रूप से करार किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार साम्यापूर्ण फायदे में हिस्सा बंटाना सुनिश्चित करती है ।

* * * * *

(3) जहां धन की किसी राशि का हिस्सा बंटाने का आदेश दिया जाता है, वहां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसी राशि को राष्ट्रीय जैव विविधता निधि में जमा करने का निदेश दे सकेगा :

परन्तु यह कि जहां जैव संसाधन या ज्ञान किसी विनिर्दिष्ट व्यष्टिक या व्यष्टिक समूह या संगठन से अभिगम के परिणामस्वरूप हुआ था वहां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि राशि का किसी करार के निबंधनों के अनुसार और ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे, ऐसे विशिष्ट व्यष्टि या व्यष्टि समूह या संगठन को सीधे संदाय किया जाएगा ।

* * * * *

अध्याय 6

राज्य जैव विविधता बोर्ड

राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना ।

22. (1) * * * *

(2) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए कोई राज्य जैव विविधता बोर्ड गठित नहीं किया जाएगा और ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण उस संघ राज्यक्षेत्र के किसी राज्य जैव विविधता बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा :

परन्तु यह कि किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इस उपधारा के अधीन अपनी सभी या किसी शक्ति अथवा कृत्यों को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

* * * * *

(4) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों में मिल कर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जैव विविधता संरक्षण, उसके सतत् उपयोग तथा फायदों का साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से संबंधित विषयों में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाला

ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) पांच से अनधिक पदेन सदस्य जो राज्य सरकार के संबद्ध विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे;

(ग) पांच से अनधिक सदस्य जो जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के सतत् उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बटाने से संबंधित विषयों के विशेषज्ञों में से नियुक्त किए जाएंगे ।

* * * * *

राज्य जैव विविधता बोर्ड के कृत्य ।

23. राज्य जैव विविधता बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन रहते हुए, जो जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के सतत् उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना;

(ख) भारतीयों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और किसी जैव विविधता संसाधन के जैव उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा अनुरोधों को मंजूर करके, विनियमित करना;

* * * * *

संरक्षण आदि के उद्देश्यों का उल्लंघन करने वाले कतिपय क्रियाकलापों को निर्बंधित करने की राज्य जैव विविधता बोर्ड की शक्ति ।

24. (1) भारत का कोई नागरिक या भारत में रजिस्ट्रीकृत निगमित निकाय, संगठन या संगम, जो धारा 7 में निर्दिष्ट किसी कार्यकलाप को करना चाहता है, राज्य जैव विविधता बोर्ड को इसकी पूर्व सूचना ऐसे प्ररूप में देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

* * * * *

(3) पूर्व सूचना के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में दी गई कोई सूचना गुप्त रखी जाएगी और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उससे कोई संबंध नहीं है, साशय या बिना आशय के प्रकट नहीं की जाएगी ।

* * * * *

राष्ट्रीय जैव विविधता निधि का गठन ।

27. (1) राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

* * * * *

(ख) इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए सभी प्रभार और स्वामिस्व; और

* * * * *

(2) निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा :—

* * * * *

(ख) जैव संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन तथा उन क्षेत्रों का विकास जहां से ऐसे जैव संसाधन या उससे सहबद्ध ज्ञान उपलब्ध हुआ है;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट क्षेत्रों का स्थानीय निकायों के परामर्श से सामाजिक-आर्थिक विकास ।

* * * * *

राज्य जैव विविधता निधि का गठन ।

32. (1) राज्य जैव विविधता निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

* * * * *

(ग) ऐसे अन्य स्रोतों से, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी रकम ।

(2) राज्य जैव विविधता निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा,—

* * * * *

(ग) जैव संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करना;

(घ) ऐसे क्षेत्रों का, जहां से ऐसे जैव विविधता संसाधन या उससे सहबद्ध जानकारी प्राप्त हुई है, धारा 24 के अधीन किए गए आदेश के अधीन रहते हुए, संबंधित स्थानीय निकायों के परामर्श से, सामाजिक-आर्थिक विकास;

(ङ) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए उपगत व्यय की पूर्ति ।

* * * * *

अध्याय 9

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कर्तव्य

जैव विविधता के संरक्षण आदि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कूटनीतियों, योजनाओं आदि का विकसित किया जाना ।

36. (1) केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन और सतत् उपयोग के लिए जिसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों की जो जैव संसाधनों से समृद्ध हैं, पहचान करने के और उनको मानीटर करने के उपाय भी हैं के प्राकृतिक, आंतरिक और बाह्य संरक्षण जैव विविधता के संबंध में जानकारी बढ़ाने के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और लोकशिक्षा के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों को विकसित करेगा ।

* * * * *

(3) केन्द्रीय सरकार, यथासाध्य जब कभी यह समुचित समझे, जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत् उपयोग को, सुसंगत क्षेत्रीय या प्रतिक्षेत्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में एकीकृत करेगी ।

* * * * *

(5) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर जैव विविधता से संबंधित स्थानीय जनता के ज्ञान पर विचार करने और उसे संरक्षित करने का ऐसे उपायों के माध्यम से प्रयास करेगी जिसमें स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ज्ञान के रजिस्ट्रीकरण और विशिष्ट प्रणाली सहित संरक्षण के अन्य उपाय सम्मिलित हो सकते हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्राकृतिक बाह्य संरक्षण" से उनके प्राकृतिक वासों से बाहर के जैव विविधता के अवयवों का संरक्षण अभिप्रेत है;

(ख) "आंतरिक प्राकृतिक संरक्षण" से पारिस्थितिक प्रणाली और प्राकृतिक वासों का संरक्षण और उनकी प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों के घरेलूकृत या संवर्धन की दशा में ऐसे वातावरण में जिसमें उन्होंने अपने विभिन्न गुण विकसित किए हैं,

जातियों की परिवर्तनीय संख्या को बनाए रखना और उन्हें प्राप्त करना अभिप्रेत है ।

जैव विविधता विरासतीय स्थल ।

37. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, समय-समय पर स्थानीय निकायों के परामर्श से राजपत्र में, इस अधिनियम के अधीन जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासतीय स्थलों के रूप में अधिसूचित करेगी ।

(2) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से सभी विरासतीय स्थलों के प्रबंध और संरक्षण के लिए नियम बना सकेगी

* * * * *

विलुप्त हो रही प्रजातियों को अधिसूचित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

38. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार संबद्ध राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् समय-समय पर ऐसी प्रजातियों को जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या जिनके निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है, जातियों को विलुप्त हो रही जातियों के रूप में अधिसूचित कर सकेगी तथा किसी भी प्रयोजन के लिए उनके संग्रहण प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेगी और प्रजातियों के पुनर्स्थापन और परिरक्षण के लिए समुचित कदम उठा सकेगी ।

* * * * *

केन्द्रीय सरकार की कतिपय जैव संसाधनों को छूट देने की शक्ति ।

40. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध किन्हीं मदों को जिसके अंतर्गत वाणिज्या के रूप में साधारणतया व्यापार के जैव संसाधन सम्मिलित हैं लागू नहीं होंगे ।

अध्याय 10

जैव विविधता प्रबंध समितियां

जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन ।

41. (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय संरक्षण के संवर्धन, जैव विविधता के, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक वासा का परिरक्षण भी है, सतत् उपयोग और प्रलेखीकरण, भूमि प्रजातियों, लोक किस्मों और कृषिजोपजातियों, पशुओं और पशुओं तथा सूक्ष्म जीवों के घरेलूकृत स्टाक और प्रजनन संरक्षण और जैव विविधता से संबंधित ज्ञान को श्रृंखलाबद्ध करने के प्रयोजन के लिए अपने क्षेत्र के भीतर जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कृषिजोपजाति" से पौधे की ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो खेती-बाड़ी से पैदा होती है और बढ़ती रहती है या खेतीबाड़ी के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से उगाई गई थी ;

(ख) "लोक किस्म" से पौधे की पैदा की गई वह किस्म अभिप्रेत है जो कृषकों के बीच अनौपचारिक रूप से विकसित, उगाई और विनिमय की गई थी;

(ग) "भूमि प्रजाति" से पुरातन कृषिजोपजाति अभिप्रेत है जो प्राचीन कृषकों और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उगाई जाती थी ।

(2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव संसाधनों और ऐसे संसाधनों से सहबद्ध ज्ञान के उपयोग के संबंध में जो जैव विविधता प्रबंध

समितियों की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आते हैं, कोई विनिश्चय लेते समय जैव विविधता समितियों से परामर्श करेंगे ।

* * * * *

स्थानीय जैव विविधता निधि का गठन ।

43. (1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र में जहां कोई संस्था स्वशासी सरकार के रूप में कार्य कर रही हो स्थानीय जैव विविधता निधि के नाम से ज्ञात निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

* * * * *

(ङ) ऐसे अन्य संसाधनों से स्थानीय जैव विविधता निधि द्वारा प्राप्त सभी राशियां जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं ।

स्थानीय जैव विविधता निधि का उपयोजन ।

44. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्थानीय जैव विविधता निधि के प्रबंध और उसकी अभिरक्षा की ऐसी रीति तथा प्रयोजन जिनके लिए ऐसी निधि का उपयोग किया जाएगा, ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(2) निधि का उपयोग, संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता में संरक्षण और संवर्धन के लिए और सामुदायिक फायदे के लिए, जहां तक ऐसा उपयोग जैव विविधता के संरक्षण से संगत है, किया जाएगा ।

जैव विविधता प्रबंध समिति की वार्षिक रिपोर्ट ।

45. स्थानीय जैव विविधता निधि की अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए उसकी एक प्रति संबद्ध स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा ।

जैव विविधता प्रबंध समिति के लेखाओं की लेखापरीक्षा ।

46. स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखा, राज्य के महालेखाकार के परामर्श से ऐसी रीति में रखे और संपरीक्षित किए जाएंगे जो विहित की जाए और स्थानीय जैव विविधता निधि की अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति, संबद्ध स्थानीय निकाय को ऐसी तारीख से पूर्व जो विहित की जाए उस पर संपरीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक संपरीक्षित प्रति देगा ।

* * * * *

राज्य विविधता बोर्डों के बीच विवादों का निपटान । अपील ।

50. (1) * * * *

52. इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के, फायदे में हिस्सा बंटाने के किसी अवधारण या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के अवधारण या आदेश की उसे संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परंतु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित रहा है तो वह उक्त अपील साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर फाइल किए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम,

2010 के प्रारंभ से ही लागू नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ से पूर्व उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कोई अपील, उच्च न्यायालय द्वारा उसी प्रकार सुनी जाएगी और उसका निपटान किया जाएगा, मानो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना नहीं की गई हो ।

* * * * *

अवधारण या आदेश का निष्पादन ।

53. इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा किया गया फायदे में हिस्सा बंटाने का प्रत्येक अवधारण या आदेश अथवा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के किसी अवधारण या आदेश के विरुद्ध किसी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश, यथास्थिति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के किसी अधिकारी या उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर, सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा और उसी रीति में निष्पादनीय होगा जिसमें उस न्यायालय की डिक्री होती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 52 के प्रयोजनों के लिए, "राज्य जैव विविधता बोर्ड" पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भी है जिसे धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन की शक्तियां या कृत्य उस उपधारा के परंतुक के अधीन प्रत्यायोजित किए गए हैं और इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से संबंधित प्रमाणपत्र, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जारी किया जाएगा ।

* * * * *

शास्तियां ।

55. (1) जो कोई धारा 3 या धारा 4 या धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और जहां कारित नुकसान दस लाख रुपए से अधिक हो, वहां जुर्माना कारित नुकसान के अनुरूप हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई धारा 7 के उपबंधों का या धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना ।

58. इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे ।

* * * * *

अपराधों का संज्ञान ।

61. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान—

* * * * *

(ख) ऐसे किसी फायदे के दावेदार द्वारा जिसने ऐसे अपराध की और कोई

परिवाद किए जाने के अपने आशय की केंद्रीय सरकार या पूर्वोक्त रूप में प्राधिकृत प्राधिकारी या अधिकारी को विहित रीति में तीस दिन से अन्यून की सूचना दे दी है,

किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं ।

* * * * *

62. (1) * * * * केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 9 के अधीन अध्यक्ष और सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें;

* * * * *

(ङ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति;

* * * * *

63. (1) * * * * राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों से निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

* * * * *

(च) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय जैव विविधता निधि के प्रबंध और अभिरक्षा की रीति तथा वह प्रयोजन जिनके लिए ऐसी निधि का उपयोग किया जाएगा ;

(छ) धारा 45 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप और वह समय जिस पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

* * * * *